

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

बिहार का परिचय

बिहार भू-भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है जिसके पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड एवं उत्तर में नेपाल से सटी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग कि०मी०) के दृष्टिकोण से यह भारत का तेरहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2001) से बढ़कर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत की औसत गरीबी से अधिक है। तथापि, राज्य ने 2006-07 से 2015-16 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसा कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 16.99 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों¹ का विकास दर 15.75 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि² 12.24 प्रतिशत की तुलना में 12.89 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2006-07 से 2015-16 के अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर 15.42 प्रतिशत, सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर 14.27 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक रहा। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 36,964 (त्वरित) रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समय की अवधि में राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। चालू मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011-12) के वार्षिक विकास की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	8736039	9951344	11272764	12488205	13576086
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)		13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	247144	282368	317101	373920	413503
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)		14.25	12.30	17.92	10.59

(स्रोत: केन्द्र एवं राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर से ज्यादा है।

¹ ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।

² सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोवा तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2 के भाग 'क'** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2 के भाग 'ख'** में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (बी.एफ.आर.बी.एम) बनाया है, जो कि **परिशिष्ट-1.3 भाग 'क'** में दर्शाया गया है। बी.एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति **परिशिष्ट 1.3 के भाग 'ख'** में दी गयी है।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2014-15) की तुलना में चालू वर्ष (2015-16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है जबकि चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2015-16 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2014-15	2015-16	संवितरण	2014-15	2015-16		
					गैर योजना	योजना	योग
खण्ड- 'क' राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	78,417.54	96,123.10	राजस्व व्यय	72,569.98	53,965.28	29,650.66	83,615.94
कर राजस्व	20,750.23	25,449.18	सामान्य सेवाएँ	26,408.18	27,824.35	147.95	27,972.30
करेत्तर राजस्व	1,557.98	2,185.64	सामाजिक सेवाएँ	31,712.71	13,386.74	22,556.30	35,943.04
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	36,963.07	48,922.68	आर्थिक सेवाएँ	14,445.05	12,749.98	6,946.41	19,696.39
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	19,146.26	19,565.60	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.04	4.21	0.00	4.21
खण्ड- 'ख' पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	18,150.41	36.27	23,929.75	23,966.02
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1,493.06	18.50	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	368.71	469.43	151.80	621.23
लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,917.53	18,383.01	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,608.95			4,124.85
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00			0.00
आकस्मिकता निधि	1,650.00	4,477.41	आकस्मिकता निधि	1,650.00			4,477.41
लोक लेखा प्राप्तियाँ	40,251.12	49,105.88	लोक लेखा संवितरण	39,200.48			45,922.84
प्रारंभिक नकद शेष	6,156.39	6,337.11	अंतिम नकद शेष	6,337.11			11,716.72
योग	1,41,885.64	1,74,445.01	योग	1,41,885.64			1,74,445.01

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2015-16)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 22.58 प्रतिशत (₹ 17,705.56 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में 32.36 प्रतिशत (₹ 11,959.61 करोड़) एवं स्वयं के कर राजस्व में 22.65 प्रतिशत (₹ 4,698.95 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 25,449.18 करोड़) चौदहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 31,881 करोड़) से 20.17 प्रतिशत (₹ 6,431.82 करोड़) कम तथा बजट प्राक्कलन (₹ 30,875 करोड़) से 17.57 प्रतिशत (₹ 5,425.82 करोड़) कम था। कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः विक्रय, व्यापार आदि पर कर में 23.19 प्रतिशत (₹ 1,996.24 करोड़), माल एवं यात्री कर में 36.75 प्रतिशत (₹ 1,635.87 करोड़) तथा मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में 26.27 प्रतिशत (₹ 709.08 करोड़) की वृद्धि के कारण था।
- करेत्तर राजस्व (एन0टी0आर0) (₹ 2,185.64 करोड़) पूर्व वर्ष की तुलना में 40.29 प्रतिशत (₹ 627.66 करोड़) अधिक हो गया। करेत्तर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों में ₹ 238.89 करोड़ एवं पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली में ₹ 175.16 करोड़ की वृद्धि के कारण था। तथापि, करेत्तर राजस्व 35.64 प्रतिशत (₹ 1,210.22 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 3,395.86 करोड़) से तथा चौदहवें वित्त आयोग (₹ 2,756 करोड़) के निर्धारण से 20.70 प्रतिशत (₹ 570.36 करोड़) कम था।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 83,615.94 करोड़) में 15.22 प्रतिशत (₹ 11,045.96 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं पर 36.35 प्रतिशत (₹ 5,251.34 करोड़) सामाजिक सेवाओं पर 13.34 प्रतिशत (₹ 4,230.33 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं पर 5.92 प्रतिशत (₹ 1,564.12 करोड़) व्यय की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष 2015-16 के लिए राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 91,208.11 करोड़) से 8.32 प्रतिशत (₹ 7,592.17 करोड़) कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 14.61 प्रतिशत (₹ 6,884.34 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 22.88 प्रतिशत (₹ 9,977.23 करोड़) की वृद्धि हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 98.76 प्रतिशत (₹ 1,474.56 करोड़) की कमी हुई। जबकि ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 68.49 प्रतिशत (₹ 252.52 करोड़) की वृद्धि हुई।
- वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 32.04 प्रतिशत (₹ 5,815.61 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में 22.00 प्रतिशत (₹ 8,854.76 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 17.15 प्रतिशत (₹ 6,722.36 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 32.09 प्रतिशत (₹ 4,465.48 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि इसके पुनर्भुगतान में 14.30 प्रतिशत (₹ 515.90 करोड़) की वृद्धि हुई।
- इन लेन-देन के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 84.89 प्रतिशत (₹ 5,379.61 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बिहार सरकार ने राजकोषीय स्थायित्व, ऋण निवर्हता तथा सरकार के राजकोषीय संचालन को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम 2006) लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को अपना राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 तक खत्म करना था तथा राजकोषीय घाटा को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के अंदर रखना था। चौदहवें वित्त आयोग ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया एवं पुनरीक्षित रोड मैप सभी अनुदानों एवं ऋण राहत सुविधाओं को जोड़ते हुए किया।

राज्य ने (एफ0आर0बी0एम0) में महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को पुनरीक्षित करते हुए इसका नामाकरण बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम, 2010 (बी.एफ.आर. बी.एम.) बनाया। राज्य के पुनरीक्षित लक्ष्य जो कि संशोधित बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में रखे गये थे (i) राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता तीन प्रतिशत तथा (ii) ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2015-16 में 25 प्रतिशत या इससे कम हो।

वर्ष 2015-16 के लिए एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, चौदहवें वित्त आयोग और बजट दस्तावेजों में मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं उन्हें तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय परिवर्ती कारक	2015-16				
	राज्य हेतु चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में विहित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / एम.टी.एफ.पी. में बनाये गये प्रक्षेपण	वास्तविकी
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	11,980.95	11,980.95	12,507.16
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	3.50	3.00	2.98	2.98	2.92
जी.एस.डी.पी.की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	25.02	25.02	19.41	19.59	28.19


(स्रोत: वर्ष 2015-16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग, एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, बजट तथा एम.टी.एफ.पी. ऑकड़े)

राज्य सरकार को वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक राजस्व अधिशेष हुआ। वर्ष 2014-15 में समेकित निधि में ₹ 869.92 करोड़ के घाटा की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹ 2,169.58 करोड़ का आधिक्य हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा एफ0आर0बी0एम0 के अधिनियम के विहित सीमा के भीतर रहा।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण अथवा प्राक्कलन का विवरण प्रदान करता है। राजस्व तथा व्यय के आकलन में विशुद्धता की महत्ता समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते हैं। बजट प्राक्कलन से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को छोड़ने एवं अस्वीकार करने का सूचक है।

चार्ट 1.1 वर्ष 2015-16 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी को प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है। बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1.5 में भी दिया गया है।



(स्रोत: बजट दस्तावेज तथा राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2015-16)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तविकी आँकड़ों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिसकी समीक्षा नीचे की गयी है:

- राजस्व प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 7,066 करोड़ (7 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण कर राजस्व में ₹ 5,426 करोड़ (18 प्रतिशत) तथा करेत्तर राजस्व ₹ 1,210 करोड़ (36 प्रतिशत) बजट प्राक्कलन की तुलना में कम होना था।
- राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, बजट प्राक्कलन से ₹ 7,592 करोड़ (8 प्रतिशत) एवं ₹ 5,511 करोड़ (19 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 2,286 करोड़, सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 2,141 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 3,165 करोड़ का कम व्यय था। पूँजीगत व्यय में अंतर का कारण सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 1,304 करोड़ तथा सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 498 करोड़ कम व्यय था।
- राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 526 करोड़ (4.39 प्रतिशत) ज्यादा था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से राजस्व व्यय में ₹ 7,592 करोड़ की कमी थी। जबकि राजस्व प्राप्तियाँ भी बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से ₹ 7,066 करोड़ कम थी।
- बजट प्राक्कलन (₹ 13,584 करोड़) में किये गये प्रक्षेपण से राजकोषीय घाटा ₹ 1,523 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 7,592 करोड़ की कमी थी जैसा की बजट प्राक्कलन में प्रावधानित था।

- बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा में ₹ 1,401 करोड़ की कमी हो गयी।

1.1.4 जेण्डर बजट

राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 में जेण्डर बजट की शुरुआत की। राज्य का जेण्डर बजट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार एवं उन्नति के लिए तैयार किये गये योजनाओं पर खर्च करने के लिए प्रस्तावित व्यय को दर्शाता है।

तालिका 1.4 में वर्ष 2015-16 के लिए जेण्डर बजट दस्तावेज में आवंटन एवं उसके उपयोगिता का विस्तृत विवरण है।

तालिका 1.4: वर्ष 2015-16 के दौरान जेण्डर बजट आवंटन एवं उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंतर्गत आवंटन			वर्ष के अंतर्गत व्यय			उपयोगिता का प्रतिशत
	श्रेणी-1	श्रेणी-2	कुल	श्रेणी-1	श्रेणी-2	कुल	
2015-16	3,996.38	9,625.88	13,622.26	2,996.06	8,130.90	11,126.96	81.68

(स्रोत: राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए प्रदत्त सूचनाएँ)

(श्रेणी-1- महिलाओं के लाभार्थ के लिए कर्णांकित शत प्रतिशत बजटीय प्रावधान)

(श्रेणी-2- महिलाओं के लाभार्थ के लिए कर्णांकित कम से कम 30 प्रतिशत बजटीय प्रावधान)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान महिलाओं के लाभार्थ चिन्हित निधियों में से 82 प्रतिशत का उपयोग किया गया।


तथापि, राज्य सरकार द्वारा अबतक जेण्डर बजट के अंतर्गत योजनाओं के उचित क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर कोई समर्पित जेण्डर बजट कोषांग का गठन नहीं किया है।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के आधार पर राज्य के संसाधन


राज्य सरकार के संसाधन, प्राप्तियों के दो प्रवाह-राजस्व और पूँजीगत से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संवितरण के पश्चात् लोक लेखा में उपलब्ध निधि का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण में किया गया। जैसा कि वार्षिक वित्त लेखा में अभिलिखित है, तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ तथा संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि चार्ट 1.2 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप-घटक



* कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पञ्जीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं ।
(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2015-16)

चार्ट 1.3 वर्ष 2011-16 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा चार्ट 1.4 वर्ष 2015-16 के दौरान इनके प्राप्तियों के घटक को इंगित करता है ।




(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

* कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पञ्जीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं ।

[#] पञ्जीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन शामिल हैं ।

कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 में ₹ 58,955 करोड़ से 100 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 1,17,708 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में ₹ 22,829 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2015-16 के कुल प्राप्तियों (₹ 1,17,708 करोड़) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियों के घटक की स्थिति को दर्शाता है:



(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2015-16)

वर्ष 2015-16 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 82 प्रतिशत था तथा यह 23 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 के ₹ 78,417 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 96,123 करोड़ हो गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का अंश 15 प्रतिशत था तथा यह वर्ष 2014-15 के ₹ 15,411 करोड़ से बढ़कर 19 प्रतिशत वर्ष 2015-16 में ₹ 18,402 करोड़ हो गया।

लोक लेखा प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए सरकार लोक धन हेतु बैंकर/न्यासी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) का अंश कुल प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 के दौरान तीन प्रतिशत था तथा यह 203 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 के ₹ 1,051 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 3,183 करोड़ हो गया।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का स्थानांतरण


भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों³ को स्थानांतरित किया जाता है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि, वर्तमान प्रक्रिया में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती हैं और सरकार के लेखे में प्रदर्शित नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार, राज्य का वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संसाधनों का पूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का स्थानांतरण **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाया गया।

³ राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ सहित वैसी गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।


वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 792.71 करोड़ सीधे स्थानांतरण किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 21.63 प्रतिशत ज्यादा थी। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला योजना पदाधिकारी (स्थानीय निकाय) (₹ 217.50 करोड़ अर्थात् 27.44 प्रतिशत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 199 करोड़ अर्थात् 25.10 प्रतिशत) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 100.31 करोड़ अर्थात् 12.65 प्रतिशत) थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं का कर एवं करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर का स्थानांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2011-16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः **परिशिष्ट 1.7** तथा **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.5 तथा 1.6 से प्रदर्शित होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2011-12 में ₹ 51,320 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 96,123 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2011-12 में 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 20 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, पिछले वर्ष के 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 20 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने संसाधन में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश वर्ष 2011-16 के दौरान 25 से 31 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व प्राप्ति में राज्य का केंद्रीय कर स्थानांतरण में अंश वर्ष 2011-16 के दौरान 47 से 54 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व प्राप्ति में करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2011-16 के दौरान दो प्रतिशत पर स्थिर रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	51,320	59,567	68,919	78,417	96,123
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.24	16.07	15.70	13.78	22.58
राज्य का अपना कर (₹ करोड़ में)	12,612	16,253	19,961	20,750	25,449
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	27.78	28.87	22.81	3.95	22.65
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	2,47,144	2,82,368	3,17,101	3,73,920	4,13,503
जी.एस.डी.पी.की वृद्धि दर (प्रतिशत)		14.25	12.30	17.92	10.59
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	20.77	21.10	21.73	20.97	23.25
उत्प्लावकता अनुपात⁴					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्प्लावकता	0.71	1.13	1.28	0.77	2.13
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना कर उत्प्लावकता	1.30	2.03	1.85	0.22	2.14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2011-16 के दौरान दो अंको में रहा। यह वर्ष 2011-12 के 15.24 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 22.58 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का स्वयं कर उत्प्लावकता अनुपात 0.22 प्रतिशत से 2.14 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केंद्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, संसाधन के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन अपना कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार किया गया है।

राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य सरकार के बजट प्रक्षेपण को नीचे की तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:

⁴ उत्प्लावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। जैसे-राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियों 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

तालिका 1.6: प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ
वर्ष 2014-15 के लिए

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	13,510.40	25,662.95	20,750.23
करेत्तर राजस्व	2,466.86	3,081.68	1,557.98

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, बजट तथा तेरहवें वित्त आयोग के आँकड़े)

वर्ष 2015-16 के लिए

(₹ करोड़ में)

	चौदहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	31,881	30,875.00	25,449.18
करेत्तर राजस्व	2,756	3,395.86	2,185.64

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, बजट तथा चौदहवें वित्त आयोग के आँकड़े)

राज्य का कर राजस्व वर्ष 2014-15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 7,240 करोड़ ज्यादा था जबकि वर्ष 2015-16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 6,432 करोड़ कम था। करेत्तर राजस्व वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से क्रमशः ₹ 909 करोड़ एवं ₹ 570 करोड़ कम था तथा राज्य के बजट प्राक्कलन से भी क्रमशः ₹ 1,524 करोड़ एवं ₹ 1,210 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेपण को प्रदर्शित करता है।

1.3.1.1 कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व वर्ष 2011-12 में ₹ 12,612 करोड़ से 101.78 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 25,449 करोड़ हो गया। वृद्धि के मुख्य घटक तालिका 1.7 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाये गये हैं।


तालिका 1.7: वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य के अपने कर संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,476	8,671	8,453	8,607	10,603	23.19
राज्य उत्पाद	1,981	2,430	3,168	3,217	3,142	(-).2.33
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	1,480	2,173	2,712	2,699	3,409	26.31
वाहन पर कर	569	673	837	964	1,081	12.14
भू-राजस्व	168	205	202	277	695	150.90
माल एवं यात्री पर कर	828	1,932	4,349	4,451	6,087	36.76
अन्य कर	110	169	240	535	432	(-).19.25
योग	12,612	16,253	19,961	20,750	25,449	22.65

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.7: वर्ष 2011-16 के दौरान कर राजस्व के मुख्य घटक (₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.7 वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य सरकार के वित्त के काल श्रृंखला आँकड़े प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट** में कर राजस्व के घटकों के अवलोकन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का मुख्य अंश बिक्री, व्यापार आदि पर कर वर्ष 2011-12 में 59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 42 प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद का अंश वर्ष 2011-12 में 16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 12 प्रतिशत हो गया।
- मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क का अंश वर्ष 2011-12 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 13 प्रतिशत हो गया।
- वाहनों पर कर का अंश में मामूली कमी वर्ष 2011-12 के 4.51 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 4.25 प्रतिशत हो गया।
- भू-राजस्व का अंश वर्ष 2011-12 में एक प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में तीन प्रतिशत हो गया।
- माल एवं यात्री पर कर का अंश वर्ष 2011-12 में 7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 24 प्रतिशत हो गया।
- अन्य करों का अंश वर्ष 2011-12 में एक प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में दो प्रतिशत हो गया।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व


वर्ष 2015-16 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व (₹ 2,185.64 करोड़) 2.27 प्रतिशत था। करेत्तर राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष से ₹ 627.66 करोड़ अधिक था। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व के विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.8** तथा **चार्ट 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: करेत्तर राजस्व का वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष (करेत्तर राजस्व)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्ति	573.70	167.12	269.48	344.77	583.66	69.29
लाभांश तथा लाभ	1.40	2.55	2.53	2.58	14.84	475.19
अन्य करेत्तर प्राप्ति	314.76	965.60	1,272.82	1,210.63	1,587.14	31.10
योग	889.86	1,135.27	1,544.83	1,557.98	2,185.64	40.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

1.3.1.3 कर संग्रहण पर व्यय

पूर्व वर्षों में संपूर्ण भारत औसत के साथ, मुख्य राजस्व प्राप्ति के संबंध में सकल संग्रहण में हुआ व्यय तथा वर्ष 2015-16 के दौरान सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.9 में सन्निहित है।

तालिका 1.9: संग्रहण पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	पूर्व वर्षों के लिए संपूर्ण भारत की औसत प्रतिशतता (2014-15)
1	वैट/बिक्री कर	2015-16	17,122.49	91.02	0.53	0.91
2	राज्य उत्पाद	2015-16	3,141.75	49.63	1.58	2.09
3	वाहन कर	2015-16	1,081.22	39.77	3.68	6.08
4	मुदांक एवं निबंधन शुल्क	2015-16	3,408.57	55.33	1.62	3.59

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के लिए राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य में वर्ष 2015-16 के दौरान वैट/बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क एवं वाहन कर के संबंध में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता संग्रहण की संपूर्ण भारत औसत लागत (2014-15) से कम थी।

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2011-12 में ₹ 9,882.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 19,565.60 करोड़ हो गया जिसे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर-योजना अनुदान	2,562.62	2,412.58	3,288.13	3,271.21	3,434.43
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	5,065.39	5,051.97	6,238.39	14,935.68	13,886.33
केंद्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	95.78	35.69	136.65	117.49	2,083.98
केंद्र प्रायोजित योजना मदों के लिए अनुदान	2,159.19	2,777.68	2,920.86	821.88	160.86
विशेष योजना मदों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	9,882.98	10,277.92	12,584.03	19,146.26	19,565.60
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	1.90	4.00	22.44	52.15	2.19
राजस्व प्राप्तियाँ	51,320	59,567	68,919	78,417	96,123
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान की प्रतिशतता	19.26	17.25	18.26	24.42	20.35

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में सहायक अनुदानों में ₹ 419.34 करोड़ की वृद्धि का कारण केंद्रीय योजना मदों में (₹ 1,966.49 करोड़) एवं गैर योजना अनुदान (₹ 163.22 करोड़) की वृद्धि था। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में राज्य योजना मदों में ₹ 1,049.35 करोड़ एवं केंद्र प्रायोजित योजना मदों में ₹ 661.02 करोड़ की कमी हुई।

1.3.3 ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय ऋण के ऋण राहत की योजना बनायी गयी जिसे ऋण समेकन एवं राहत सुविधाएँ कहा गया तथा यह राज्य में घाटे की कमी से संबंधित राज्य राजकोषीय निष्पादन पर आधारित था। चौदहवें वित्त आयोग ने इस सुविधा का विस्तार कुछ राज्यों तक किया। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 के दौरान कोई ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं का लाभ बिहार सरकार ने नहीं उठाया।

1.3.4 केंद्रीय कर स्थानान्तरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्य का अंश तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 32 प्रतिशत से वृद्धि कर 42 प्रतिशत अनुशंसित किया गया तथा राज्य सरकार के संघीय कर निवल प्राप्ति (सेवा कर को छोड़कर) एवं सेवा कर निवल प्राप्ति का अंश क्रमशः 9.67 तथा 9.79 प्रतिशत तय किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त संघीय करो/शुल्को का अंश (₹ 48,922.68 करोड़) प्राक्कलन (₹ 50,747.58 करोड़) से (₹ 1,824.90 करोड़) कम था। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में ₹ 11,959.61 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 2,469.68 करोड़), सेवा कर (₹ 2,981.08 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 1,871.44 करोड़) संघीय उत्पाद शुल्कों (₹ 3,201.53 करोड़) और संपत्ति कर में (₹ 30.53 करोड़) कमी हुई।

1.3.5 चौदहवें वित्त आयोग अनुदान का इष्टतनीकरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य को हस्तांतरण के रूप में ₹ 2,995.01 करोड़ की अनुशंसा की गयी थी। चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य को हस्तांतरित राशि के वास्तविक विमुक्ति एवं निधियों की उपयोगिता को तालिका 1.11 में सारांशित किया गया है।

तालिका 1.11: हस्तांतरण एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	हस्तांतरण	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	वास्तविक विमुक्ति	व्यय	अव्यवहृत अनुदान
1.	बुनियादी अनुदान (यू.एल.बी.)	256.83	255.01	255.01	0.00
2.	निष्पादन अनुदान (यू.एल.बी.)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बुनियादी अनुदान (पी.आर.आई.)	2,269.18	2,269.18	2,269.18	0.00
4.	निष्पादन अनुदान (पी.आर.आई.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	पथ एवं पुल	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	प्रारंभिक शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	आपदा राहत	469.00	469.00	1,286.59	(-) 817.59*
8.	पर्यावरण (वन) संबंधित अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	शिशु मृत्यु दर में गिरावट	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		2,995.01	2,993.19	3,810.78	(-) 817.59

(स्रोत: बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

* 817.59 करोड़ वर्ष 2014-15 की अव्यवहृत राशि का शेष था।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार द्वारा की गयी विमुक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा संबंधित लेखा शीर्ष के तहत इसकी उपयोगिता से संबंधित उपरोक्त सूचना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विमुक्त ₹ 2,993.19 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3,810.78 करोड़ (127.32 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया था। वर्ष 2015-16 में अधिक्य व्यय ₹ 817.59 करोड़ वर्ष 2014-15 के अव्यवहृत राशि के शेष से किया गया।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 में ₹ 6,726 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 18,402 करोड़ (174 प्रतिशत) हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ का वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.12: प्राप्तियों के वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर.)	6,726	9,579	9,922	15,411	18,402
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	826.56	508.02	549.66	718.25	817.97
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ	23	25	15	1493	18.50
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,628	9,554	9,907	13,918	18,383
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	10	44	04	40	32
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	-	-
जी.एस.डी.पी.	2,47,144	2,82,368	3,17,101	3,73,920	4,13,503
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर		14.25	12.30	17.92	10.59
सी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11	42	04	55	19

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

1.4.1 ऋण तथा अग्रिम की वसूलियाँ

ऋण तथा अग्रिम की वसूली वर्ष 2014-15 में ₹ 1,493.06 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 18.50 करोड़ (98.76 प्रतिशत) हो गयी। इसमें सहकारी समितियों/सहकारी निकायों/बैंकों के ऋण ₹ 3.58 करोड़, सांविधिक निकायों ₹ 0.07 करोड़ और सरकारी सेवकों को ऋण ₹ 14.85 करोड़ सम्मिलित है। यह कमी मुख्यतः सांविधिक निकायों में पिछले वर्ष 2014-15 से ₹ 1,474.99 करोड़ की कम वसूली था।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

लोक ऋण प्राप्ति वर्ष 2014-15 में ₹ 13,918 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 18,383 करोड़ (32.08 प्रतिशत) हो गयी जिसमें मुख्यतः बाजार ऋण ₹ 11,500 करोड़, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से ऋण ₹ 1,200 करोड़ तथा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों ₹ 3,307 करोड़ की ऋण सम्मिलित है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

राज्य सरकार ने वितरण के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कदम बढ़ाते हुए वितरण के ऋणों का अधिग्रहण कर उदय योजना के अंतर्गत फरवरी 2016 में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया। दिनांक 30.09.2015 तक उदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का वितरण उत्तरदायित्व ₹ 3,109.05 करोड़ था जिसमें से राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 1,554.42 करोड़ मूल्य के गैर एस0एल0आर0 बाँड जारी किया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 772.26 करोड़ मूल्य के गैर एस0एल0आर0 बाँड जारी करने की अनुमति प्रदान दी गई, इस तरह ₹ 2,331.78 करोड़ जो कुल दायित्व का 75 प्रतिशत है।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति (निवल)

कुछ निश्चित लेन-देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्ति तथा संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता। यहाँ सरकार एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के उपयोग हेतु निधि उपलब्ध होती है। तालिका 1.13 के नीचे वर्ष 2011-16 के दौरान लोक लेखा प्राप्ति (निवल) के घटकों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.13: लोक लेखा प्राप्ति के घटक (निवल)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(₹ करोड़ में)					
लोक लेखा प्राप्ति (निवल)					
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 2.13	(-) 215.64	(-) 297.90	(-) 182.77	(-) 73.58
ख. आरक्षित निधि	572.36	530.89	698.58	730.13	90.69
ग. जमा एवं अग्रिम	932.91	2,199.05	3,668.40	2,222.58	3,731.69
घ. उचंत एवं विविध	(-) 556.93	(-) 266.52	(-) 44.86	(-) 1707.32	(-) 571.81
ड. प्रेषण	(-) 36.82	19.52	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05
योग	909.39	2,267.39	4,005.21	1,050.64	3,183.04

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)


लोक लेखा प्राप्ति (निवल) वर्ष 2011-12 में ₹ 909.39 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 3,183.04 करोड़ हो गयी। लोक लेखा प्राप्ति में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान जमा एवं अग्रिम में ₹ 2,798.78 करोड़ तथा प्रेषण में ₹ 42.87 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी। तथापि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढीकरण, प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.9 पाँच वर्षों (2011-16) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

[#] कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं हैं।

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, वर्ष 2011-12 में ₹ 57,257 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 1,08,203 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 में कुल व्यय में ₹ 17,114 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 11,046 करोड़ (15 प्रतिशत), पूँजीगत व्यय में ₹ 5,816 करोड़ (32 प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिम में ₹ 252 करोड़ (68 प्रतिशत) की वृद्धि था।
- मुख्य पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वर्ष 2014-15 में ₹ 4,647.84 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 8,012.63 करोड़ (72.39 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ में वर्ष 2014-15 में ₹ 523.19 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 2,233.73 करोड़ (326.94 प्रतिशत) तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में वर्ष 2014-15 में ₹ 315.77 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 1,090.75 करोड़ (245.43 प्रतिशत) रही।

- मुख्य राजस्व व्यय में बढ़ोतरी ऊर्जा में वर्ष 2014-15 में ₹ 3,752.94 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 6,047.95 करोड़ (61.15 प्रतिशत), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण में वर्ष 2014-15 में ₹ 2,304.50 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 4,055.63 करोड़ (75.99 प्रतिशत) तथा सड़क एवं पुल में वर्ष 2014-15 में ₹ 990.58 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 1,709.07 करोड़ (72.53 प्रतिशत) रही।

1.6.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में होता है जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। राजस्व व्यय के आधारभूत मापदंड की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.14 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय-आधारभूत मापदंड

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय (आर.ई.) जिसमें, (₹ करोड़ में)	46,499	54,466	62,477	72,570	83,616
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	34,012	37,574	43,381	47,059	53,965
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	12,487	16,892	19,096	25,511	29,651
वृद्धि दर					
राजस्व व्यय (प्रतिशत)	21.67	17.13	14.71	16.15	15.22
गैर योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	24.51	10.47	15.45	8.48	14.68
योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	14.56	35.28	13.05	33.59	16.23
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशतता	81.21	82.35	80.84	79.67	77.28
गैर योजना राजस्व व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	13.76	13.31	13.68	12.59	13.05
कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता	59.40	56.81	56.13	51.66	49.87
राजस्व प्राप्तियों में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता	66.27	63.08	62.94	60.01	56.14
राजस्व व्यय की उत्पादकता के साथ					
जी.एस.डी.पी (अनुपात)	1.01	1.20	1.20	0.90	1.44
राजस्व प्राप्तियों (अनुपात)	1.42	1.07	0.94	1.17	0.67

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 11,046 करोड़ (15.22 प्रतिशत) तथा कुल व्यय⁵ का 77.28 प्रतिशत बढ़ गया।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2015-16 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) ₹ 6,906 करोड़ (14.68 प्रतिशत) बढ़ गया, इसका मुख्य कारण ऊर्जा में ₹ 2,338.46 करोड़ (62.31 प्रतिशत), ग्रामीण विकास में ₹ 764.40 करोड़ (36.23 प्रतिशत) तथा परिवहन में ₹ 722.13 करोड़ (79.61 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण परिशिष्ट 1.4 में दिया गया है।

योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2015-16 के दौरान योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) ₹ 4,140 करोड़ (16.23 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण शिक्षा में ₹ 1,765.68 करोड़ (22.57 प्रतिशत), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण में ₹ 1,727.12 करोड़ (80.26 प्रतिशत) तथा उद्योग एवं खनिज में ₹ 643.35 करोड़ (130.14 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण परिशिष्ट 1.4 में दिया गया है।

⁵ इसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान शामिल है।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल है। तालिका 1.15 तथा चार्ट 1.10 वर्ष 2011-16 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।


तालिका 1.15: वर्ष 2011-16 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
						बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	12,193.69 (23.76)	13,557.88 (22.76)	14,036.67 (20.37)	14,607.44 (18.63)	18,534.75	14,923.73 (15.52)
1 (क)	गैर-योजना शीर्ष	11,494.50 (22.40)	12,865.06 (21.60)	13,315.36 (19.32)	13,910.31 (17.74)	17,757.90	14,307.22 (14.88)
1 (ख)	योजना शीर्ष	699.19 (1.36)	692.82 (1.16)	721.31 (1.05)	697.13 (0.89)	776.85	616.51 (0.64)
2	ब्याज भुगतान	4,303.66 (8.39)	4,428.31 (7.43)	5,459.04 (7.92)	6,128.75 (7.82)	7,220.77	7,097.69 (7.38)
3	पेंशन पर व्यय	7,808.45 (15.22)	8,363.53 (14.04)	9,481.73 (13.76)	11,344.50 (14.47)	12,979.67	11,830.46 (12.31)
4	ऋण की अदायगी	2,922.46 (23.97)	3,069.96 (5.15)	3,119.56 (4.53)	3,608.95 (4.60)	3,895.28	4,124.85 (4.29)
5	सब्सिडी	2,672.27 (5.21)	4,313.45 (7.24)	1,464.38 (2.12)	4,628.36 (5.90)	0.00	9,010.45 (9.37)
6	योग (1+2+3+4+5)	29,900.53 (58.26)	33,733.13 (56.63)	33,561.38 (48.70)	40,318.00 (51.42)	42,630.47	46,987.18 (48.87)
7	अन्य संघटक (8-6)	16,598.96 (32.34)	20,733.02 (34.81)	28,915.85 (41.96)	32,251.98 (44.44)	48,577.64	36,628.76 (38.11)
8	राजस्व व्यय	46,499.49	54,466.15	62,477.23	72,569.98	91,208.11	83,615.94
9	राजस्व प्राप्तियाँ	51,320.17	59,566.66	68,918.65	78,417.54	1,03,189.06	96,123.10

कोष्ठक में दिये गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा तथा वर्ष 2015-16 का बजट)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वेतन पर व्यय

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वेतन पर व्यय वर्ष 2014-15 में 18.63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 15.52 प्रतिशत हो गयी। वेतन पर ₹ 14,923.73 करोड़ का व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 18,534.75 करोड़) से ₹ 3,611.02 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान पर व्यय

पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 7,808.45 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 11,830.46 करोड़ हो गया अर्थात् ₹ 4,022.01 करोड़ (51.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान केवल पेंशन भुगतान ही राज्य के राजस्व प्राप्ति का 12.31 प्रतिशत था तथा पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 485.96 करोड़ (4.28 प्रतिशत) बढ़ गया।

ब्याज भुगतान पर व्यय

ब्याज भुगतान पर व्यय (₹ 7,097.69 करोड़) पिछले वर्ष से 15.81 प्रतिशत अधिक था। राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 में 8.39 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 7.38 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 7,097.69 करोड़) चौदहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन से (₹ 6,359 करोड़) से ₹ 738.69 करोड़ अधिक था। यद्यपि, यह बजट प्राक्कलन (₹ 7,220.77 करोड़) से ₹ 123.08 करोड़ कम था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्तियाँ से प्रतिशतता वर्ष 2011-12 में 23.97 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 4.29 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट प्राक्कलन (₹ 3,895.28 करोड़) से ₹ 229.57 करोड़ (5.89 प्रतिशत) की सामान्य वृद्धि हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदानों/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान न केवल प्रत्यक्ष परंतु परोक्ष रूप से भी अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है कि कम वसूली अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 9,010.45 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 94.68 प्रतिशत ज्यादा था तथा राजस्व प्राप्ति का 9.37 प्रतिशत था। इसमें से, ऊर्जा विभाग हेतु ₹ 6,047.95 करोड़, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग हेतु ₹ 1,330.67 करोड़ तथा उद्योग विभाग हेतु ₹ 824.89 करोड़ प्रदान किये गये।

अंतर्निहित सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा अंतर्निहित सब्सिडी पर की गयी व्यय का वर्णन नीचे तालिका 1.16 में किया गया है:

तालिका 1.16: वर्ष 2015-16 में दिया गया अंतर्निहित सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	व्यय
1	शिक्षा विभाग	1,487.50
2	उद्योग विभाग	834.71
3	कृषि विभाग	585.91
4	गन्ना उद्योग विभाग	130.60
5	ऊर्जा विभाग	47.23
योग		3,085.95

(स्रोत: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका 1.16 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत पोशाक, साईकिल और सेनेटरी नैपकीन इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए ₹ 1,487.50 करोड़, उद्योग विभाग के अंतर्गत पावर लूम के बिजली खपत पर राहत, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 834.71 करोड़, कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक कृषि के कृषि यांत्रिकरण उन्नयन के विकास इत्यादि के लिए ₹ 585.91 करोड़, गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य योजना को आर्थिक सहायता के लिए ₹ 130.60 करोड़ तथा उर्जा विभाग के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट इत्यादि के लिए बिहार नवीकरण उर्जा विकास अभिकरण को ₹ 47.23 करोड़ दिए गए।

1.6.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

वर्ष 2011-16 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के जरिये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की स्थिति नीचे **तालिका 1.17** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	5,581.07	8,331.34	8,420.44	11,477.94	5,345.89
नगर निगम एवं नगर निकाय	557.30	873.56	1,009.88	626.46	1,826.29
जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	2,534.41	2,595.15	3,506.69	2,425.69	3,178.20
विकास एजेन्सियाँ	3,029.74	3,079.26	5,683.72	6,938.67	10,972.07
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	25.00	-	67.12	101.05	1,403.26
अन्य संस्थाएँ	2,716.16	2,574.43	247.16	789.48	3,700.50
योग	14,443.68	17,453.74	18,935.01	22,359.29	26,426.21
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	31.06	32.05	30.31	30.81	31.60

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय सहायता वर्ष 2014-15 में ₹ 22,359.29 करोड़ से बढ़कर ₹ 26,426.21 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 4,066.92 करोड़ (18.19 प्रतिशत) की वृद्धि प्रारंभिक रूप से विकास अभिकरणों को (₹ 4,033.40 करोड़), अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थानों (₹ 1,302.21 करोड़), नगर निगम एवं नगर निकाय (₹ 1,199.83 करोड़), जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थानों (₹ 752.51 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 2,911.02 करोड़) की सहायता में वृद्धि के कारण हुई। यद्यपि, शिक्षा विभाग को ₹ 6,132.05 करोड़ की कम वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

सामान्यतः राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय के गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन अवयवों पर सन्निहित है, जिसमें व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता एवं प्रभाव (चुनिंदा सेवाओं के लिए लागत-परिणाम संबंध का आकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक प्रक्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.18 2015-16 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.18: 2012-13 तथा 2015-16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई. [#] / ए.ई.	एस.एस. ई./ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य / ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13*	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72
बिहार का औसत (अनुपात) 2012-13	23.42	70.69	36.95	14.49	21.84	3.63
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2015-16	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45
बिहार का औसत (अनुपात) 2015-16	26.17	70.78	35.75	22.15	17.70	4.22

* जी.एस.डी.पी. की प्रतिशत के अनुसार
 ए.ई.— संचयी व्यय, डी.ई.—विकास व्यय, एस.एस.ई.—सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.—पूँजीगत व्यय, ई.डी.एन—शिक्षा
[#] डी.ई.: विकासात्मक व्यय में शामिल है: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण तथा अग्रिम

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार)

1.7.2 व्यय उपयोगिता की दक्षता

विकास शीर्षों⁶ पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स⁷ के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय⁸ के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित होता है। कुल व्यय पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात, व्यय का बेहतर दक्षता होगा।

चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता की स्थिति तालिका 1.19 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.19 चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता

(प्रतिशतता)

प्रक्षेत्र	2014-15		2015-16	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
सामाजिक सेवाएँ (एस.एस.)				
सामान्य शिक्षा	1.47	28.49	2.77	23.77
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8.76	50.99	23.86	52.57
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	19.88	6.63	18.23	6.28
योग (एस.एस.)	5.96	28.25	8.70	25.16

⁶ विकास शीर्षों के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

⁷ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते हैं कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे सौदा हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे मामलों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल हैं।

⁸ व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय के रूप में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है। विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है।

प्रक्षेत्र	2014-15		2015-16	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5.11	14.37	14.68	14.64
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	58.26	58.00	59.40	56.96
विद्युत एवं ऊर्जा	52.53	0.00	31.23	0.00
परिवहन	80.83	22.81	72.06	13.94
योग (ई.एस.)	51.99	14.23	43.13	11.25
योग (एस.एस.+ई.एस.)	26.18	24.24	23.84	20.59

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रक्षेत्रवार व्यय पर विश्लेषण तथा विकासात्मक सूचक से इसका संबंध यह प्रदर्शित करता है कि इन शीर्षों पर कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 में 26.18 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 23.84 प्रतिशत हो गया। इन शीर्षों के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2014-15 में 24.24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 20.59 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 में 5.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 8.70 प्रतिशत हो गयी। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 में 51.99 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 43.13 प्रतिशत हो गयी। मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत वृद्धि देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2014-15 में 28.25 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 25.16 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामान्य शिक्षा (4.72 प्रतिशत), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (0.35 प्रतिशत) के अंतर्गत था।

इसी तरह, चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2014-15 में 14.23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 11.25 प्रतिशत हो गई। यह कमी मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (1.04 प्रतिशत) तथा परिवहन (8.87 प्रतिशत) में पाया गया।

1.8 राज्य सरकार के व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यों पर निधि के अवरुद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रुके हुए कार्यों सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तालिका 1.20 में 31 मार्च 2016 तक के अपूर्ण कार्यों की विभागवार सूचनाएँ दी गयी हैं। सम्मिलित रूप से 144 परियोजनाओं/कार्यों (प्राक्कलित लागत ₹ 1,728.18 करोड़) को मार्च 2016 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 731.56 करोड़ अवरुद्ध हो गया। अपूर्ण कार्यों की भौतिक प्रगति मार्च 2016⁹ को शून्य से 98 प्रतिशत के बीच रही।

⁹ वित्त लेखा बिहार सरकार वर्ष 2014-15 का परिशिष्ट - IX।

तालिका 1.20: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग/परियोजनाएँ	अपूर्ण परियोजनाएँ की संख्या	प्राक्कलित लागत	मार्च 2016 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	58	1,260.42	477.18
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	40	224.93	126.15
पथ निर्माण	4	37.80	17.25
भवन निर्माण	21	131.75	71.84
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	13	21.89	11.55
ग्रामीण कार्य	5	4.10	1.63
राष्ट्रीय राजमार्ग	3	47.29	25.96
योग	144	1,728.18	731.56

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के राज्य का वित्त लेखा)

कार्यों को पूर्ण करने में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब के कारण परियोजनाओं से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार, समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2016 तक, राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 9,940.24 करोड़ निवेश किया जो कि तालिका 1.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.21: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	920.82	941.17	2,867.18	7,068.79	9,940.24
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	1.40	2.55	2.53	2.58	14.84
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.15	0.27	0.09	0.04	0.15
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर ¹⁰ (प्रतिशत)	6.35	5.79	6.28	6.19	6.09
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ में अंतर (प्रतिशत)	6.20	5.52	6.19	6.15	5.94

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 9,940.24 करोड़ के निवेश के विरुद्ध ₹ 14.84 करोड़ का प्रतिलाभ हुआ। उपर्युक्त तालिका 1.21 में देखा जा सकता है कि इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ पिछले पाँच वर्षों के दौरान 0.14 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2011-16 के दौरान सरकार ने अपने उधार पर 6.14 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। उधार पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ के दर के बीच के अंतर वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक घटते हुए प्रवृत्ति में है।

विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये ₹ 9,940.24 करोड़ में, 53 सरकारी कंपनियों में ₹ 9,366.84 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में ₹ 433.90 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.19 करोड़ तथा नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं साझेदारियों में ₹ 3.68 करोड़ का था।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है।

¹⁰ ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान*100/राजकोषीय उत्तरदायित्व।

तालिका 1.22 31 मार्च 2016 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ ब्याज भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.22: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण की राशि/ ब्याज प्राप्तियाँ/ उधार की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारंभिक शेष	16,642.19	18,525.76	20,587.01	21,379.35	20,255.00
वर्ष के दौरान प्रदत्त की राशि	1,906.08	2,085.95	807.38	368.71	621.23
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	22.51	24.70	15.03	1,493.06	18.50
अंतिम शेष	18,525.76	20,587.01	21,379.36	20,255.00	20,857.73
निवल योग	1,883.57	2,061.25	792.35	(-) 1,124.35	602.73
ब्याज प्राप्तियाँ	573.70	167.12	269.48	344.77	583.66
बकाया ऋण एवं अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ की प्रतिशतता	3.10	0.81	1.26	1.70	2.80
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.35	5.79	6.28	6.19	6.09
ब्याज प्राप्तियाँ तथा ब्याज भुगतान के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-) 3.25	(-) 4.98	(-) 5.02	(-) 4.49	(-) 3.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रदत्त ऋणों की मात्रा वर्ष 2014-15 में ₹ 368.71 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 621.23 करोड़ हो गयी। पुनर्भुगतान भी वर्ष 2014-15 में ₹ 1,493.06 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 18.50 करोड़ हो गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल पुनर्भुगतान के बकाया का अंतिम शेष ₹ 20,857.73 करोड़ था। ब्याज प्राप्तियों की वसूली ज्यादा होने के कारण ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर वर्ष 2014-15 में 4.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 3.29 प्रतिशत हो गया।

1.8.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.23 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.23: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2016 को	वृद्धि/कमी
नकद शेष	6,337.11	11,716.72	5,379.61
नकद शेष से निवेश (क से घ)	3,528.80	8,199.24	4,670.44
क. भारत सरकार का कोषागार विपन्न	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	3,524.15	8,194.59	4,670.44
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट शेष (क एवं ख) से निवेश का निधिवार विखंडन	2,343.00	2,834.84	491.84
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	2,342.90	2,834.74	491.84
ब्याज प्राप्ति	311.77	453.33	141.56
* वृद्धि नहीं, 0.0961 का पूर्णांक आँकड़ें शामिल किये गये			

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 6,337.11 करोड़ से बढ़कर ₹ 11,716.72 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2016 को ₹ 3,524.15 करोड़ से बढ़कर ₹ 8,194.59 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में

उद्दिष्ट शेष में निवेश ₹ 491.84 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के दौरान निवेश पर ₹ 453.33 करोड़ ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त ब्याज (₹ 311.77 करोड़) से ₹ 141.56 करोड़ ज्यादा था।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं के संघटक तथा वृद्धि

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि और भवन जैसे अचल संपत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है। तथापि, सरकारी लेखा में सरकार की वित्तीय देयताएँ तथा की गई व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्ति का लेखांकन होता है। **परिशिष्ट 1.8** 31 मार्च 2015 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2016 तक की ऐसी देयताएँ एवं परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

कुल देयताएँ राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयताएँ हैं। संचित निधि देयताएँ में आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय परिवहन तथा अन्य समकक्ष साधनों द्वारा उधारी शामिल है जिसमें पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार की होती है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.24 में राज्य के बकाये राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।


तालिका 1.24: बकाया राजकोषीय देयताएँ¹¹

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राशि (₹ करोड़ में)	67,811.84	76,503.07	86,939.10	99,055.82	1,16,577.61
वृद्धि दर	7.88	12.82	13.64	13.94	17.69
राजकोषीय देयताएँ का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28
राजस्व प्राप्तियाँ	1.32	1.28	1.26	1.26	1.21
स्वयं के संसाधन	5.02	4.40	4.04	4.44	4.22
राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.37	0.90	1.11	0.78	1.67
राजस्व प्राप्तियाँ	0.52	0.80	0.87	1.01	0.78
स्वयं के संसाधन	0.32	0.45	0.58	3.74	0.74

स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संघटक चार्ट 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।

¹¹ बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत से ऋण, भविष्य निधि आदि तथा अन्य दायित्व।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका 1.24 में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2011-12 में ₹ 67,811.84 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 1,16,577.61 करोड़ हो गया। राजकोषीय देयताएँ की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में 7.88 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 17.69 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजकोषीय देयताएँ का जी.एस.डी.पी. से अनुपात वर्ष 2011-12 में 27.40 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 के दौरान 28.20 प्रतिशत हो गया एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशांसित प्रतिमान तथा एफ0आर0बी0एम0 के लक्ष्य 25.02 प्रतिशत से ज्यादा रहा। वर्ष 2015-16 के अंत में देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.21 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 4.22 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पलावकता पूर्व वर्ष के दौरान 0.78 की तुलना में इस वर्ष 1.67 थी।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

आरक्षित निधि का सृजन राज्य सरकार (लोक लेखे) के लेखा में 'ज' प्रक्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इन निधियों में भारत अथवा राज्य अथवा बाहरी एजेंसियों द्वारा संचित निधि योगदान एवं अनुदान द्वारा पोषित होते हैं। इसके अतिरिक्त इन निधियों को "ब्याज वाली निधि" तथा "बिना ब्याज वाली निधि" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः आरक्षित निधि निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं जो उन स्रोत पर आधारित होते हैं जिसमें से पोषित होते हैं।

- अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा साथ ही लोक अभिदान यथा केंद्रीय सड़क निधि से संसहायिकी से बनी निधि, से संचित की गयी निधि।
- विशिष्ट उद्देश्यों जैसे शून्य ह्रास निधि हेतु की गयी व्यय के लिए संचय प्रदान करने हेतु भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से संघ/राज्य द्वारा अलग रखी गयी राशि से संचित की गयी।
- राज्य सरकार को बाह्य एजेंसियों द्वारा दी गयी योगदान से संचित की गयी निधि।

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के लेखे में छः आरक्षित निधि¹² सृजित किये गये तथा उनका संधारण किया गया।

¹² राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास तथा कल्याण निधि, सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ एवं मृत्युह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

इस निधि का प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2015 को ₹ 1,809.57 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 1,269.00 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 1,670.15 करोड़ का संवितरण किया गया जिससे 31 मार्च 2016 को ₹ 1,408.42 करोड़ का शेष रह गया।

निक्षेप निधि

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष ₹ 2,342.90 करोड़ था तथा ₹ 491.84 करोड़ की राशि निक्षेप निधि निवेश लेखा में निवेशित की गयी। निक्षेप निधि में 31 मार्च 2016 को अंतशेष ₹ 2,834.74 करोड़ था।

1.9.4 आकस्मिक देयताएँ

• **प्रत्याभूति की स्थिति**

यदि उधार लेने वाले जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रत्याभूति पर गारंटी दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गयी विगत तीन वर्षों की प्रत्याभूति की स्थिति **तालिका 1.25** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.25: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्रत्याभूत अधिकतम राशि	2,049.03	2,046.44	2,586.84	5,314.84	9,396.62
प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1,092.34	1,089.23	1,090.23	2,000.90	4,720.78
कुल राजस्व प्राप्तियाँ से अधिकतम प्रत्याभूत राशि की प्रतिशतता	3.99 (51,320)	3.44 (59,567)	3.75 (68,919)	6.78 (78,417)	9.78 (96,123)
(कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते हैं)					

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 9 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के संबंध में स्थिति/सूचना प्रस्तुत नहीं किया तथा मार्च 2016 के अंत तक प्रत्याभूत अधिकतम राशि पूर्व वर्ष से ₹ 4081.78 करोड़ ज्यादा कर दी गई। 31 मार्च 2016 को प्रत्याभूति की ₹ 4720.78 करोड़ की बकाया राशि मुख्यतः ऊर्जा (₹ 3496.87 करोड़), सहकारिता (₹ 456.05 करोड़), सड़क एवं परिवहन (₹ 43.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 17.21 करोड़), अन्य विनिर्माण (₹ 16.06 करोड़) एवं अन्य दूसरे (₹ 564.12 करोड़) से संबंधित था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई भी देयता से मुक्ति हेतु प्रत्याभूति शुल्क के जरिये प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

• **ऑफ-बजट उधारी**

सरकारी कंपनियों/निगमों राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधि उधार लेती है। इस तरह का कई उधारी कभी-कभी राज्य सरकार का देयता हो जाता है जिसे 'ऑफ-बजट उधारी' कहा जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान ऑफ-बजट उधारी से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है।

1.9.5 बाजार उधारी सहित सरकार की उधारी का विश्लेषण

वर्ष 2011-16 के दौरान नकद शेष तथा राज्य द्वारा ली गयी उधारी तालिका 1.26 में दी गयी है।

तालिका 1.26: नकद शेष एवं उधारी की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल उधारी (बाजार उधारी सहित)	राजकोषीय घाटा से अधिक उधारी	मार्च का नकद शेष
2011-12	5,914	7,660	1,746	1,509
2012-13	6,545	10,850	4,305	3,716
2013-14	8,351	30,249	21,898	6,156
2014-15	11,179	41,188	30,009	6,337
2015-16	12,061	56,030	43,969	11,717

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि वृहत् नकद शेष रहने के बावजूद राजकोषीय घाटा से उधारी ₹ 1,746 करोड़, ₹ 4,305 करोड़, ₹ 21,898 करोड़, ₹ 30,009 करोड़ तथा ₹ 43,969 करोड़ क्रमशः वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान बढ़ गया। वर्ष 2011-16 के दौरान ₹ 1,509 करोड़ से ₹ 11,717 करोड़ के बीच वृहत् नकद शेष को राजकोषीय घाटा के स्तर तक हुए आधिक्य उधारी पर आरोपित की जा सकती थी जिसे तालिका 1.26 में दर्शायी गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटा सामान्यतः राज्य द्वारा उधारी के माध्यम से पोषित होता है। ऋण की वृद्धि दर, ऋण पुनर्भुगतान देयता, लोक ऋण पुनर्भुगतान, चालू व्यय को वित्त पोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता (पूँजीगत व्यय नहीं) सरकारी प्रत्याभूति पर विशेष प्रयोजन माध्यम साधन द्वारा बढ़ाये गये ऋण के कारण तथा ऋण चुकाने की वचन बद्धता नीचे प्रदर्शित की गयी है।

• ऋण विवरणिका

प्रति व्यक्ति ऋण को दिखाने के लिए विगत पाँच वर्षों का समयवार विश्लेषण नीचे तालिका 1.27 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.27: ऋण विवरणिका : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण विवरणिका के प्रदर्शक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता ¹³	651	4,263	4,977	5,988	10,424
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता वर्ष 2014-15 में ₹ 5,988 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 10,424 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 6 के अनुसार, सरकार द्वारा ₹ 17,565.04 करोड़ के आंतरिक ऋण, ₹ 817.97 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, ₹ 37,647.21 करोड़ के अन्य देयताओं में वृद्धि की गई और ₹ 3,422.74 करोड़ के आंतरिक ऋण, ₹ 702.11 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान, ₹ 34,383.58 करोड़ के अन्य देयताओं को चुकाया और ₹ 5,899.63 करोड़ आंतरिक ऋण पर ब्याज, ₹ 377.54 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज और ₹ 801 करोड़ लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज भुगतान भी किया।

¹³ उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ - (लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैर योजना शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।

• ऋण निर्वाहता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता¹⁴ का निर्धारण करते हैं। यह खंड, ऋण स्थिरता,¹⁵ गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁶, उधार ली गई राशियों की निवल अनुपलब्धता,¹⁷ ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण निर्वाहता की संवहनीयता का आकलन करता है। तालिका 1.28 वर्ष 2011-16 की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण निर्वाहता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.28: ऋण निर्वाहता : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लोक ऋण तथा अन्य देयताएँ	67,811.84	76,503.07	86,939.10	99,055.82	1,16,577.61
लोक ऋण तथा अन्य देयताएँ/ जी.एस.डी.पी. अनुपात	27.44	27.09	27.42	26.49	28.19
लंबित ऋण पर औसत ब्याज	6.59	6.14	6.68	6.59	6.58
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	(-) 1,485.07	282.02	1,331.24	(-) 46,710.98	(-)39,291.86
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	651	4263	4977	5988	10424
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा (वर्षों में)*					
शून्य से एक वर्ष (2016)					4,031.40 (4.34)
एक से तीन वर्ष (2017-2019)					15,530.56 (16.72)
तीन से पाँच वर्ष (2020-2021)					12,431.17 (13.38)
पाँच से सात वर्ष (2022-2023)					17,248.54 (18.57)
सात वर्ष से अधिक (2024 के आगे)					43,653.70 (46.99)
कुल					92,895.37 (100.00)#
* तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2015-16 में वित्त लेखों में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।					
# कोष्ठक में दिये आँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।					

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

दिये गये तालिका 1.28 के अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को अपने ऋण का 16.72 प्रतिशत (₹ 15,530.56 करोड़) एक से तीन वर्षों के बीच, 13.38 प्रतिशत (₹ 12,431.17 करोड़) तीन से पाँच वर्षों के बीच एवं 18.57 प्रतिशत (₹ 17,248.54 करोड़) पाँच से सात वर्षों के बीच पुनर्भुगतान करना है। यह साबित करता है कि राज्य को लगभग अपने ऋण का 47 प्रतिशत (₹ 43,653.70 करोड़) का पुनर्भुगतान अगले सात वर्षों के बाद करना है।

राज्य को ऋण निर्वाहता सुधारने हेतु अच्छे ऋण प्रबंधन उपाय पर कार्य करना है। इसमें अतिरिक्त ऋण एवं संसाधन संग्रहण की वृद्धि शामिल है। जब तक कि ऋण निर्वाहता हेतु गंभीर प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक राज्य में ऋण सेवा एवं ऋण के जाल की स्थिति गंभीर समस्या होगी।

¹⁴ किसी समयावधि तक ऋण और जी.एस.डी.पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।

¹⁵ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो।

¹⁶ राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।

¹⁷ इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।

1.10.1 ऋण सुदृढीकरण तथा राहत सुविधा


चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 1 अप्रैल 2015 से राज्य सरकार को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) संचालन से मुक्त किया जाना था। 1 अप्रैल 2015 के पूर्व के (एन.एस.एस.एफ.) संचालन में हुए राजकोषीय भार, चूँकि यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता था, को राज्य सरकार पर भारित नहीं किया जाना चाहिए एवं 1 अप्रैल 2015 से जब राज्य सरकार संलग्नत हुआ, वित्तीय भार सिर्फ उत्तरदायित्व के लिये किया जाना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान कोई ऋण सुदृढीकरण तथा राहत सुविधा उपभोग नहीं किया गया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मापदंड राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा—किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। साथ ही, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा एफ0आर0बी0एम0 नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य ने वर्ष 2009-10 में राजस्व अधिशेष प्राप्त किया तथा इसके बाद राजस्व अधिशेष बना रहा। चार्ट 1.12 से प्रकट होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 6,660 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 12,507 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेपण ₹ 11,981 करोड़ से काफी ज्यादा था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.29: वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति के सूचक

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	1.95	1.81	2.03	1.56	3.02
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 2.39	(-) 2.32	(-) 2.63	(-) 2.99	(-) 2.92
प्राथमिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.65	(-) 0.75	(-) 0.91	(-) 1.35	(-) 1.20

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.12 एवं तालिका 1.29 में देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 6,660 करोड़ बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 में ₹ 11,179 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 12,061 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (2.92) वर्ष 2015-16 हेतु चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रक्षेपण तथा एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः, ₹ 5,050 करोड़ का प्रारंभिक घाटा (2014-15) घटकर ₹ 4,963 करोड़ हो गया (2015-16)।

1.11.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्त व्यवस्था

राजकोषीय घाटे के व्यवस्था प्रतिमान में समग्र परिवर्तन हुए हैं जिसे तालिका 1.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटा के घटक तथा इसकी वित्तीय व्यवस्था

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय घाटा की संरचना	(-) 5,914.90	(-) 6,545.26	(-) 8,351.92	(-) 11,178.50	(-) 12,061.59
1 राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	4,820.68	5,100.51	6,441.42	5,847.56	12,507.16
2 निवल पूँजीगत व्यय	(-) 8,852.01	(-) 9,584.52	(-) 14,001.00	(-) 18,150.41	(-) 23,966.02
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 1,883.57	(-) 2,061.25	(-) 792.35	(-) 1,124.35	(-) 602.73
राजकोषीय घाटे का वित्त व्यवस्था*					
1 बाजार उधारी	2,593.90	5,763.88	5,346.77	6,666.51	10,233.12
2 भारत सरकार से ऋण	361.08	23.30	(-) 11.07	84.67	115.86
3 एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति	505.56	292.87	631.52	3,150.22	2,024.86
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	244.96	403.96	820.31	407.18	1,884.33
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 2.13	(-) 215.55	(-) 297.90	(-) 182.77	(-) 73.58
6 जमा एवं अग्रिम	932.91	2,199.05	3,668.41	2,222.57	3,731.69
7 उचंचत तथा विविध	1,238.71	(-) 1,936.34	(-) 2,007.59	(-) 1,231.88	(-) 5,245.97
8 प्रेषण	(-) 36.82	19.51	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05
9 आरक्षित निधि	335.93	275.94	262.31	(-) 245.12	(-) 401.15
10 अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.02	-	-	-	-
11 संपूर्ण अधिशेष/घाटा	6,248.12	6,826.62	8,393.74	10,859.40	12,275.21
12 नकद शेष में कमी/वृद्धि	333.22	281.36	41.82	319.10	(-) 213.62
13 सकल राजस्व घाटा	5,914.90	6,545.26	8,351.92	11,178.50	12,061.59
* ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बहिर्गमन # नकद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)					

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.31: वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्त पोषण देने वाले प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारी	11,500.00	1,266.88	10,233.12
2	भारत सरकार से ऋण	817.97	702.11	115.86
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	3,306.54	1,281.68	2,024.86
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,758.49	874.16	1,884.33
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1,203.48	1,277.06	(-)73.58
6	जमा एवं अग्रिम	34,894.03	31,162.34	3,731.69
7	उचंत तथा विविध	2,35,533.87	2,40,779.84	(-)5,245.97
8	प्रेषण	10,619.24	10,613.19	6.05
9	आरक्षित निधि	1,760.84	2,161.99	(-)401.15
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-
11	संपूर्ण अधिशेष (+) घाटा (-)			12,275.21
12	नकद शेष में वृद्धि/कमी			(-)213.62
13	सकल राजकोषीय घाटा			12,061.59

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, 2015-16)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता है, वह वर्ष 2014-15 में ₹ 11,178.50 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 12,061.59 करोड़ हो गया परंतु, यह बजट प्राक्कलन (₹ 13,584.46 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था। वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 61.59 प्रतिशत था परंतु, यह वर्ष 2015-16 के दौरान घटकर 50.33 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष के तुलना में राष्ट्रीय लघु बचत निधि, लघु बचत, पी.एफ. आदि, प्रेषण को जारी विशेष प्रतिभूति में कमी थी। तथापि, बाजार उधारी, भारत सरकार से ऋण तथा आर्थिक संस्थाओं से ऋण में वृद्धि हुई।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व घाटा¹⁸ में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस विस्तार को बताता है जो उधार ली गयी निधियों का उपयोग तत्कालिक उपभोग के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा उधारी का एक अंश (राजकोषीय देयताएँ) के पास कोई परिसंपत्ति पूर्तिकर नहीं था। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (तालिका 1.32) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

¹⁸ प्रारंभिक राजस्व राज्य के घाटा गैर व्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्रारंभिक व्यय को पूरा करने में समर्थ है।

तालिका 1.32: प्रारंभिक घाटा/अधिशेष-कारकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)							
वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ ¹⁹	प्रारंभिक राजस्व व्यय ²⁰	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	प्रारंभिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2011-12	51,343	42,195	8,852	1,906	52,953	9,148	(-) 1,610
2012-13	59,592	50,038	9,585	2,086	61,709	9,554	(-) 2,117
2013-14	68,934	57,018	14,001	807	71,826	11,916	(-) 2,892
2014-15	79,910	66,441	18,150	369	84,960	13,469	(-) 5,050
2015-16	96,142	76,518	23,966	621	1,01,105	19,624	(-) 4,963

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2011-12 में ₹ 9,148 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 19,624 करोड़ हो गया। इसका कारण प्रारंभिक व्यय (जिसमें प्रारंभिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है) वर्ष 2011-12 में ₹ 52,953 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 1,01,105 करोड़ हो गया। विवरण से प्रकट होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ, प्रारंभिक राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों के कुछ अंश का उपयोग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में हुआ। यद्यपि, वर्ष 2011-12 में (राज्य का प्रारंभिक घाटा ₹ 1,610 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 4,963 करोड़ हो गया।

1.12 अनुवर्ती

राज्य वित्त प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति में इस प्रतिवेदन पर चर्चा आयोजित की जाती रही है।

वर्ष 2010-11 में लोक लेखा समिति द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के कंडिका संख्या 3.4 पर अनुशंसा किया गया था।

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 12,507.16 करोड़ था जो पिछले वर्ष से ₹ 6,660 करोड़ ज्यादा और बजट अनुमान से ₹ 526 करोड़ ज्यादा मुख्यतः राजस्व व्यय में कमी के कारण था।
- राज्य का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार उधारी, भारत सरकार से ऋण इत्यादि में वृद्धि के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 11,179 करोड़ से बढ़कर ₹ 12,061 करोड़ हो गया। तथापि यह बजट अनुमान (₹ 13,584 करोड़) से ₹ 1,523 करोड़ कम था। यह जी0एस0डी0पी0 के 2.92 प्रतिशत, एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के प्रतिमान तीन प्रतिशत और चौदहवें वित्त आयोग (एफ0 एफ0 सी0) द्वारा अनुशंसित 3.5 प्रतिशत के अंदर था।

संसाधन संग्रहण

- राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 96,123 करोड़) में वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 22.58 प्रतिशत (₹ 17,706 करोड़) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः केंद्रीय करो के राज्यांश (₹ 11,959.61 करोड़) और अपना कर राजस्व (₹ 4,698.95 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

¹⁹ राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है।

²⁰ प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं ब्याज भुगतान में अंतर है।

- राजस्व प्राप्तियों में 22.58 प्रतिशत वृद्धि के कारण जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता 0.77 (2014-15) से बढ़कर 2.13 (2015-16) हो गई।

सरकार को बजट दस्तावेज में प्रस्तुत प्राप्तियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि का हस्तांतरण

- वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 792.71 करोड़ हस्तांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 21.63 प्रतिशत अधिक था।

भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित लेखांकन और निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

व्यय की गुणवत्ता

- पूँजीगत व्यय (सी0ई0) वर्ष 2014-15 के ₹ 18,150 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 23,966 करोड़ हो गया जो कि मुख्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वर्ष 2014-15 के ₹ 4,647.84 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 8,012.63 करोड़ के वृद्धि के कारण हुई। चुनिंदा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का वर्ष 2014-15 के 51.99 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2015-16 में 43.13 प्रतिशत हो गया। जबकि सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का वर्ष 2014-15 में 5.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 8.70 प्रतिशत हो गई।

- राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली नगण्य थी जिसके कारण पुनर्भुगतान हेतु मार्च 2016 के अंत तक वृहत शेष (₹ 20,857.73 करोड़) हो गया। ऋणों की पुनर्भुगतान वर्ष 2014-15 के ₹ 1,493.06 करोड़ से वृहत मात्रा में घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 18.50 करोड़ हो गया।

सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

राजकोषीय देयता

- आंतरिक ऋण में बढ़ोतरी के कारण मुख्यतः राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2014-15 के ₹ 99,056 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 1,16,578 करोड़ हो गया।

